'संस्थागत नैतिक उत्पीड़न' और मारुति उद्योग का मामला

रवींद्र गोयल

पेरिस की आपराधिक अदालत ने हाल ही में दूरसंचार कंपनी फ्रांस टेलीकॉम (जिसका नया नाम 'ऑरेंज' है) और इसके आला अफसरों को एक दशक पहले अपने 35 कर्मचारियों को आत्महत्या के लिए बाध्य करने का दोषी पाया है। (कर्मचारियों के वकील इस संख्या को कम से कम इससे दो गुना बताते हैं।) अदालत ने कंपनी और उस समय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित पूर्व प्रबंधन टीम के दो और सदस्यों पर जुरमाना किया और तीन अफसरों को चार महीने की जेल की सजा भी सुनाई। अदालत ने कंपनी को पीड़ितों को हर्जाने के रूप में 3 मिलियन यूरो (तकरीबन 252 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।

2000-2010 के दशक के मध्य में इन अफसरों ने कंपनी के 120000 कर्मचारियों में से 22000 कर्मचारियों को काम से निकालने के लिए कंपनी में भय का ऐसा माहौल बनाया की कई कर्मचारियों को आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास करने पड़े। कई कर्मचारी डिप्रेशन के भी शिकार हो गए। यह गौर तलब है की इन कर्मचारियों को नौकरी की शर्तों के अनुसार कानूनी रूप से नहीं निकाला जा सकता था। केस की सुनवाई के दौरान कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा सुनियोजित उत्पीडन के बारे में विस्तार से बताया। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने हताश सहयोगियों के बारे में बताया जिन्होंने खुद को फाँसी पर लटका लिया, खुद को आग लगा ली, या खुद को खिड़कियों से बाहर, गाड़ियों और पुलों और राजमार्गों के नीचे फेंक दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कंपनी अफसरों ने उन्हें जानबूझकर ऐसे काम दिए जिनको वो पूरा नहीं कर सकते थे।

आत्महत्या करने वालों में सबसे छोटा 28 वर्षीय निकोलस ग्रेनोविले था, जिसने अपने गले में एक इंटरनेट केबल डाल कर खुद को गैरेज में फाँसी पर लटका लिया। वो एक जिम्मेवार तकनीशियन था जो फोन लाइनों पर अकेले काम करता था। कंपनी ने अचानक उसे ग्राहकों के साथ बिक्री के काम में बिना किसी प्रशिक्षण के लगा दिया था। अगस्त 2009 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही श्री ग्रेनेविले ने लिखा था, मैं इस काम को अब और ज्यादा नहीं कर सकता। फ्रांस टेलेकॉम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसे सिर्फ पैसे की चिंता है. इसी तरह 30 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे एक 57 वर्षीय कर्मचारी ने कंपनी के कार पार्किंग में अपने को आग लगा कर आत्महत्या कर ली। चार बच्चों के पिता, रेमी लुब्रादो, नाम के इस कर्मचारी की आत्महत्या का कारण उसके बार बार के ट्रान्सफर को बताया जा रहा है।

पेरिस की आपराधिक अदालत ने पाया कि भय के माहौल के द्वारा कर्मचारियों को कम करने का यह तरीका किसी भी तरह से उचित नहीं था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "22,000 कर्मचारियों को कम करने के लिए चुने गए साधन अनुचित थे।" अधिकारियों ने कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को बिगाड़ने के लिए एक सचेत योजना बनाई ताकि कर्मचारी काम छोड़ कर स्वयं चलें जाएँ। और कहा कि इस नीति ने "चिंता का माहौल बनाया" जिसके कारण आत्महत्याएं हुई।

> **आत्महत्या के सवाल पर कंपनी का मानना था की इतनी बड़ी कंपनी के लिए आत्महत्या की दर कोई सांख्यिकीय रूप से असामान्य नहीं है. कंपनी के अपराधी ठहराए गए अफसरों ने कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे. इसके विपरीत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों ने फैसले का स्वागत किया।**

कंपनी अधिकारियों ने अपने बचाव में कहा कि कर्मचारियों ने कंपनी को स्वेच्छा से छोड़ था। लेकिन इस दावे को फैसले ने नकार दिया। स्वयं कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री लोम्बार्ड ने 2006 में कंपनी के अन्य अधिकारियों से कहा था कि कर्मचारियों को जाना होगा चाहे "खिड़की से या दरवाजे से"।

आत्महत्या के सवाल पर कंपनी का मानना था की इतनी बड़ी कंपनी के लिए आत्महत्या की दर कोई सांख्यिकीय रूप से असामान्य नहीं है। कंपनी के अपराधी ठहराए गए अफसरों ने कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। इसके विपरीत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है की "इसे एक उदाहरण के रूप में समझा जाये ताकि फिर कभी (कार्य स्थल पर) सामाजिक हिंसा की ऐसी नीति न बने।"

यह गौरतलब है कि हालिया वर्षों में दुनिया के पैमाने पर पहली बार फ्रांस की एक कंपनी को इस तरह के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस फैसले का ज्यादा श्रेय फ्रांस टेलीकॉम के कर्मचारी यूनियनों को ही जाता है। यूनियनों की पहल के कारण प्रबंधन और सरकारी नीति दोनों में आमूल-चूल परिवर्तन हुए। ये सफल हो पाए क्योंकि उन्होंने श्रमिकों को एक सुसंगत संदेश के चारों ओर जुटाया और फिर उस संदेश को जनता तक पहुँचाया श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को शेयरधारक रिटर्न से ऊपर माना जाना चाहिए। कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए जिम्मेदार होना होगा। लेकिन इस काम में काफी समय लगा। धयान रहे की सार्थक फैसला आने में कई साल लग गए।

फ्रांस टेलीकॉम के कर्मचारियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले गैरकानूनी "संस्थागत नैतिक उत्पीड़न" और उससे पैदा होनेवाली कार्य स्थल पर अत्यधिक अमानवीय काम की स्थितियां और तनाव भारतीय उद्योग जगत की भी सच्चाई है। इस दरिंदगी के उदहारण के रूप में पिछले साल मारुती के एक बर्खास्त किये गए मजदूर या इस साल हौंडा द्वारा निकले गए एक मजदूर द्वारा आत्माहत्या के रूप में देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही गुजरात के 10 दलित मजदूरों ने जहर पीकर आत्मा हत्या की कोशिश की है। ऐसे और भी सैंकड़ों उदहारण पिछले सालों में गिनाये जा सकते हैं।

रेमी लुब्रादो के बेटे ने कोर्ट के बाहर सही ही कहा था कि अब तक मजदूर ही आतंकित रहे हैं, होना यह चाहिए की प्रबंधन आतंकित हो, उनको पता हो की वे जेल जाएंगे "भय को अपना पाला बदलना चाहिए" फ्रांस में दिए गए इस फैसले का एक सरल और सुसंगत संदेश है कि नियोक्ताओं/उद्योगपतियों की एक सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने मुनाफे को बढाने की चिंता के साथ साथ अपने कर्मचारियों को स्वस्थ और सुरक्षित नौकरी प्रदान करें। अधिक स्पष्ट रूप से कहें- जब मुनाफे की भूख में प्रबंधक अपने श्रमिकों के काम करने की शर्तों को असहनीय बना दें तो उन्हें जेल जाना चाहिए। न की जैसा मारुति के 18 जुलाई 2012 के केस में हुआ। मारुति वाले मामले में 13 आरोपियों को हत्या के जुर्म में गैर कानूनी तरीके से उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। यह फैसला न्याय/कानून पर आधारित न होकर सरकार की हर शर्त पर विदेशी पूँजी को बुलाने और उन्हें मुनाफे की खुली छूट देने की नीति पर आधारित था।

उम्मीद की जानी चाहिए की फ्रांस टेलिकॉम के मामले में यह फैसला आने वाले समय में कानूनी चिंतन में एक मजदूर हितैषी मोड़ लाने में मदद करेगा।

गतांक की चीर-फ़ाड़

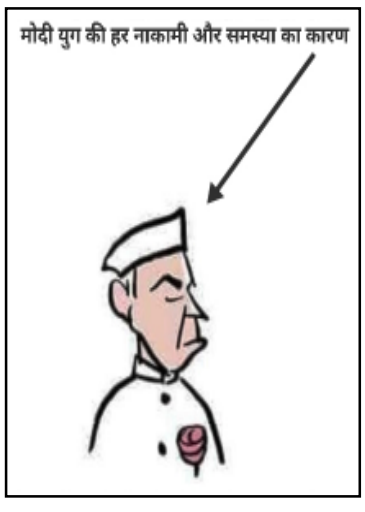

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर में मोदी सरकार की रुचि के कारण आया खराब वित्तीय दौर

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 8-14 मार्च 2020 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। दिल्ली के साम्प्रदायिक नरसंहार में अभी तक 56 लोग मारे जा चुके हैं, 400 से ऊपर घायल हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग गायब हैं और रोजाना लाशें बरामद हो रही है। अनेक मकान व दुकानें, तीन स्कूल, पेट्रोल पम्प तथा कई मस्जिदें जलाकर खाक कर दिए गए हैं। इन दंगों में लोगों का करोड़ों रुपयों का कारोबार नष्ट हो चुका है। इस नरसंहार में मरने वाले हिंदू भी हैं तथा मुसलमान भी। दंगाइयों के शिकार अधिकतर वो लोग हुए जो बहुत छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा चला रहे थे जैसे ऑटो ड्राईवर, मज़दूर, कूड़ा बीनने वाले, ठेला चलाने वाले, छोटे ढाबों के वेटर आदि। आम आदमी दंगाइयों की भीड़ के लिए आसान शिकार होते हैं, जबकि दंगा भड़काने वाले नेता जैसे दिल्ली के पूर्व विधायक व भाजपा नेता कपिल मिश्रा, भाजपा सांसद परवेश वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आदि अपने कमरों में अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी पर तमाशा देख रहे होते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की दंगों में भूमिका पर कड़े आरोप लग रहे हैं।

'साजिश के साथ साम्प्रदायिक नरसंहार:अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट- लुटे-पिटे हुए लोग अब लौट रहे घरों को, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं', दिल्ली में जान गंवाने वाले कौन थे,' 'कौन बचा रहा था, कौन मार रहा था' तथा 'दिल्ली दंगे की गुणा गणित...' में इस नरसंहार की साजिश को बेनकाब किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की टीम को आपबीती बताते हुए तमाम प्रभावित लोगों ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध करने वालों को मजा चखाने के लिए आरएसएस के लोगों ने यह साम्प्रदायिक तांडव किया।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह योजनाबद्ध हिंसा थी जिसके लिए दंगाइयों और ईंट-पत्थर को ढोकर बाहर से लाया गया था, लेकिन पुलिस ने किसी को नहीं रोका। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों पर भगवा झंडे और निशान लगाए गए जिससे उनको बचाया जा सके और बाकी घरों को दंगाइयों के हवाले कर दिए जाए।

स्मरण रहे कि देश में सबसे पहले असम में एनआरसी लागू किया गया था। जो संदिग्ध नागरिक फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपनी नागरिकता साबित करने में सफल नहीं हुए उनको डिटेंशन सेंटरों में रखा गया। वहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता था जिससे कई बंदियों की मृत्यु भी हुई, लेकिन उनका पोस्ट-मार्टम नहीं करवाया जाता था। 'असम के डिटेंशन सेंटरों में बंदी क्यों मर रहे हैं?' में, डिटेंशन सेंटरों में बंदियों की अमानवीय दशा व बदहाली का पर्दाफ़ाश किया गया हे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में फॉरेन ट्रिब्यूनल की आलोचना करते हुए कहा कि फॉरेन ट्रिब्यूनल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।

> **दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा तथा अनुराग ठाकुर द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए थे जिनके कारण दंगे भड़क उठे थे। अदालत ने सरकारी वकील की दलील को तुरंत स्वीकार कर लिया कि इन लोग़ों पर अभी एफ़आईआर दर्ज करने से दंगे और भड़क सकते हैं और याचिका पर जवाब देने के लिये केन्द्र सरकार को 13 अप्रैल तक समय दे दिया, जबकि दंगों, हत्याओं व आगजनी के लिये पुलिस ने पचासों एफ़आई आर दर्ज करके सैंकड़ों लोगों को हिरासत में ले रखा था। इसके अतिरिक्त पुलिस को दोषी ठहराते हुए उसकी काहिली पर सवाल पूछने वाले जस्टिस एस मुरलीधर को मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और 27 फ़रवरी की रात को 12 बजे ही ट्रांस्फर कर दिया। विडम्बना है कि भाजपा व मोदी सरकार में से कोई भी दंगा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये उधर मूंह नहीं किया। इससे भी ऊपर भाजपा आरोपित कपिल मिश्रा को राजस्थान से राज्यसभा भेजने पर दांव लगाना बेहतर मान रही है।**
>
> **सीएए, एनआरसी व एनपीआर के विरुद्ध देशव्यापी विरोध के मद्देनज़र आरएसएस खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में उतर गया है। संघ का मानना है कि देश के लिये एनआरसी बहुत जरूरी है, जबकि सरकार अभी एनआरसी को लेकर गंभीर नहीं है। उत्तर प्रदेश (यूपी) की योगी आदित्यनाथ की पुलिस की तरह हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर की पुलिस भी सीएए का विरोध सहन नहीं कर पा रही। रोहतक में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर लोग़ों के बीच पम्फलेट बांट रही जनवादी महिला समिति की प्रतिनिधियों के साथ पुलिस की नोक-झोंक हुई। 'जरूरी खबर इमरजेंसी भी शर्मा जाए! हरियाणा में सीएए के खिलाफ़ पर्चा बांट रही महिलाओं से पुलिस की नोक-झोंक' में सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ़ विरोध के कारणों को स्पष्ट किया गया है।**

कुछ समय पहले दिवालिया हुए पीएमसी बैंक के बाद देश के निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक, यस बैंक भी दिवालिए की स्थिति में पहुंचने पर उसके ग्राहकों में हड़कंप मच गया है और उन्हें अपने पैसे डूबने की आशंका सता रही है। रिज़र्व बैंक इंडिया ने यस बैंक का संचालन अपने हाथों में लेते हुए इससे महीने में एक बार 50 हजार रुपए लेने की सीमा बांध दी है। 'यस बैंक-डूबने में लूट, बचाने में भी लूट' तथा 'नेहरू के रहते किसी यस बैंक को डूबने के लिये किसी राणा कपूर या गवर्नर रिजर्व बैंक या वित्त मंत्री या पीएम मोदी को दोष देना ठीक नहीं' में यस बैंक व देश की आर्थिक बदहाली का खुलासा किया गया है।

यस बैंक ने संस्थापक राणा कपूर की व्यक्तिगत रुचि के कारण खराब वित्तीय दौर से गुज़र रही अनेक कंपनियों जैसे अनिल अंबानी समूह, आईएल एण्ड, एफएस, दीवान हाउसिंग फ़ायनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स, जेट एयरवेज आदि को लोन दिए। लेकिन घाटे में जा रही कंपनियों द्वारा लोन न चुकाने के कारण बैंक की हालत बिगड़ने लगी और बैंक प्रबंधन अपना घाटा छिपाता रहा। वित्त वर्ष 2018-19 में यस बैंक ने करीब 3,277 करोड़ रुपए के एनपीए को अपने खाते में दिखाया ही नहीं तथा आरबीआई का अपने इस झांसे में रखा कि बैंक को जल्दी ही बड़े पैमाने पर निवेश मिलने जा रहा है, जबकि बैंक प्रबंधन के पास निवेश के लिये कोई ठोस प्रस्ताव ही नहीं था। इसके अतिरिक्त यस बैंक के अधिकांश बकायादारों ने भाजपा को करोड़ों रुपए चंदे में दिए हैं।

पूर्व नीति के अनुसार यदि कोई बैंक दिवालिये की स्थिति में पहुंचता था तो उसके मालिकों की पूंजी समाप्त कर बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता था। लेकिन मोदी सरकार तो पूंजीपतिपरस्त है। यस बैक राष्ट्रीयकरण करने की बजाए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन टलान का ऐलान किया, जिसमें स्टेट बैंक इंडिया निवेशक के रूप में 49 प्रतिशत की इक्विटी लेगा। इससे मालिकों की पूंजी शून्य नहीं होगी।

बढते बैड लोन के कारण अनेकों बेंकों की साख कमजोर हुई है और आने वाले समय में कुछ अन्य बैंक भी वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। यस बैंक के वित्तीय संकट को लेकर जब मोदी सरकार की विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की तो सरकार ने इस संकट के लिये कांग्रेस को ही जिम्मेवार ठहराया। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल 2014-2019 तक यस बैंक के बैड लोन में लगभग पांच गुणा वृद्धि हुई है और मोदी सरकार ने इसे नजरंदाज किया। अच्छा होगा कि मोदी सरकार अपनी कमियों व गल्तियों के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराने की बजाए देश को आर्थिक मंदी से उबारने का उपाय है।

'नगर निगम का बजट बना जन-धन लूटने का परमिट-इस वर्ष 2394 करोड़ के वारे न्यारे; पार्षद ने निगम को बार-बार लूटा जाने वाला सोमनाथ का मंदिर बताया,' 'नगर निगम की करतूत:ज़रा सी बरसात में शहर बना बंधक', 'फ़रीदाबाद नगर निगम में बजट की रस्म पूरी, भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही नहीं' तथा 'फ़िर से आई एनजीटी की टीम, बेशर्म निगम अधिकारी सिद्ध हुए चिकने घड़े' में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पास किए गए 2394 करोड़ रुपए के बजट, जनता से वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों, निगम में व्यस्त भ्रष्टाचार ओर रिश्वतखोर, कर वसूली में गड़बड़ झाले, जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में कोताही आदि का सटीक विश्लेषण किया गया है। गौरतलब है कि ठेकेदार, निगम के अधिकारियों व पार्षद की मिलीभगत के कारण कुछ ही वर्ष पहले सेक्टर 21-सी व पत्थर मार्केट के बीच बनी आरसीसी की सड़क का मार्केट की तरफ़ का हिस्सा टूटना शूरू हो गया है।

कोरोना वायरस का भाजपा द्वारा उपचार बताए जाने पर 'गौमूत्र पीने और गोबर खाने से ठीक होता है कोरोना वायरस', मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी की मुर्तियों पर माला चढाने पर 'बेट, माला ही चढाते रहोगे या मेरे आदर्शों का मान भी रखोगे!', हरियाणा सरकार की आबकारी नीति पर 'ठेका शराब-यू के रै? बोतल उसनै10 की थ्यावै अर हमनै 100 की?', हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़काने पर 'दो वायरस लो एक को हिन्दू और दूसरे को मुसलमान बनाकर आपस में लड़वा दो', ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी जुर्माना वसूलने पर 'ट्रैफिक पुलिस:भिखारी नहीं हूं, जुर्माना भर कर आ रहा हूं!' तथा यस बैंक में ग्राहकों द्वारा अपना जमा पैसा निकालने की सीमा तय करने पर 'शुक्र है' लाईन की लंबाई की कोई लिमिट तय नहीं की' कार्टूनों द्वारा उचित तंज कसा गया है।

चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुटान से शुरू होकर कोरोना वायरस दुनियां के 77 देशों में पांव फैला चुका है वुहान में अब तक 3000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद इटली, ईरान और दक्षिणी कोरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज़ों की संख्या अब तक 60 पहुंच गई है। इस वायरस के फैलने से लोगों में हड़कंप मच गया है और सरकार ने भी मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वैसे यह वायरस कोई पहला वायरस नहीं है, इससे पहले भी अनेक वायरस फैल चुके हैं, जैसे 'एचआईवी', 'सारस', 'स्वाईन फ्लू', 'गिका' आदि। 'कोरोना वायरस : जैविक हथियार, मैडिकल कैश क्रॉप या महामारी' में वायरस की बिमारियों की उत्पत्ति और उनके इतिहास तथा दवा कंपनियों व विश्व स्वास्थ्य संगठन से की जा रही लूट की समीक्षा की गई है। ध्यान रहे कि कोरोना से जुड़ी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया में घूम रही हैं लेकिन भारत में सबसे ज्यादा फैलाई जा रही हैं।